रेफरेन्स संख्या 36/2018

सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मूल सिंह
2. हनुमान सिंह
3. बजरंग सिंह पुत्र उदयसिह जाति राजपूत तहसील फुलेरा
4. बिशन सिंह जिला जयपुर
5. भोपाल सिंह

समस्त जनिवासी ग्राम बेणिया का बास तहसील फुलेरा मु. सांभर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांकः- 2018/19

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेन्ट खतौनी ग्राम बेणिया का बास तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नंबर 169 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. खड्ढा सिवायचक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2056 से 2061 में मूल सिह, हनुमान सिंह, बजरंग सिंह, बिशनसिह पिता उदयसिह जाति राजपूत हिस्सा 4/5 बिना रहन व भोपाल सिंह पुत्र उदयसिंह हिस्सा 1/5 राजपूत रहिन जयपुर नागौर आचलिक ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया के नाम खाता संख्या 43 खसरा नंबर 169 रकबा 2 बिस्वा चाही दोयम दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 31 से उदयसिंह पु॰ श्री सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी बेणिया का बास को आवंटन के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमेन्ट खतौनी गै.मु. खड्ढा दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/63 अब्दूल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तु किया गया।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 17.06.2006 को निर्णय पारित किया गया। निर्णयानुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को रिकॉर्ड (पत्रावली) सुपुर्द की गई।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2013 द्वारा प्रकरण को अस्वीकार करते हुए वापिस इस निर्देश के साथ लौटाया कि प्रकरण के संबंध में सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त यदि आवश्यक हो तो रेफरेन्स प्रस्तुत करे।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विवादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक को निर्देशित किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा के अनुसरण में पुनः परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो स्पष्ट राय के साथ मय आगामी दस्तावेजात की प्रतियां नवीनतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में भिजवायें।

तहसीलदार (भू.अ.), तहसील किशनगढ रेनवाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक भू.अ./2017/3203 दिनांक 27.07.2017 में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण ग्राम बेणिया का बास तहसील किशनगढ रैनवाल के खसरा नंबर 169 रकबा 0.02 गै.मु. खड्ढा से संबंधित है एवं पटवारी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा खातेदारी भूमि के बीच है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पानी भराव नहीं होता है। पूर्व में भी कभी उक्त स्थान पर कोई खड्ढा आदि नहीं था।

प्रथम दृष्ट्या गै.मु. खड्ढा की किस्म पानी भराव व पानी भराव की भूमि नहीं होती है। अतः रेफरेन्स प्रकरण प्रेषित/अग्रेषित करना उचित नहीं है।

हमने पत्रावली का बगोर अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार किशनगढ रैनवाल की रिपोर्ट का अध्ययन किया।

तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा खातेदारी भूमि के बीच है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पानी भराव नहीं होता है। पूर्व में भी कभी उक्त स्थान पर कोई खड्ढा आदि नहीं था।

प्रथम दृष्ट्या गै.मु. खड्ढा की किस्म पानी भराव व पानी भराव की भूमि नहीं होती है। अतः रेफरेन्स प्रकरण प्रेषित/अग्रेषित करना उचित नहीं होना अंकित किया है।

पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार किशनगढ के रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विवादित आराजी खसरा नंबर 169 रकबा 2 बिस्वा भूमि के संबध में नामान्तकरण संख्या 31 नियमानसुार सही है। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का गड्ढा नहीं होना अंकित किया है। तथा रेफरेन्स अग्रेषित करना उचित नही माना है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर नामान्तरण संख्या 31 मंजूर की जाती है। पत्रावली तकमील नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जयपुर